न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 54/2012

1. आसी पुत्री भेराराम जाति नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर –मृतक

1/1	शांति देवी पुत्री आसी उर्फ लाली	जाति नायक निवासीगण बनवाली तह. सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
1/2	पानी देवी पुत्री आसी उर्फ लाली	
1/3	गंगादेवी पुत्री आसी उर्फ लाली	
1/4	डूंगर राम पुत्री आसी उर्फ लाली	
1/5	विध्यादेवी पुत्री आसी उर्फ लाली	
1/6	जमना पुत्री आसी उर्फ लाली	

2. बाबूलाल पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी लोगेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। – अपीलार्थीगण

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर ।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपजिलाधीश/ जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 22.09.1989 ।

उपस्थितिः–

श्री मनोहरलाल सहारण , अभिभाषक अपीलांट ।

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक :– 25.09.2017**

25/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाट द्वारा यह अपील जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 29.09.89 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा चक 11 बीएलडब्लू के मु.न. 69,82 खसरा नं. 220 की 25 बीघा भूमि जो भैराराम पुत्र लालू के नाम से आवंटित थी को खारिज करते हुए राष्ट्रपति भारत सरकार घोषित करने के आदेश दिये एवं तहसीलदार सादुलशहर को रकबा बहैसियत रिसवीर रखे जाने के आदेश दिये गयें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि डी पी एक्ट के तहत आवंटन हुई थी जिसके तहत रिसीवर नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। आवंटी के हितों की रक्षा हेतु रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है किन्तु मौजूदा मामला में रिसीवर नियुक्त करने कोई प्रा.पत्र पेश नहीं हुआ। उक्त नियमों के तहत आवंटन होने के पश्चात किश्तों की राशि जमा नहीं कराने पर शास्ति लगाई जा सकती है आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता । यदि कोई बकाया राशि है तो अपीलांट उसे जमा कराने को तैयार है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावें । अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरडी 2014 पेज 62 की नजीर पेश की ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। भैराराम को कोई ठोस वारिस अधी.न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि

25/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने यह अपील आदेश दिनांक 29.09.1989 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 26.04.2014 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो.ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश करके नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का सार बिन्दु है कि अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एक तरफा निर्णय वह भी रिसीवरी का निर्णय, जिसें काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में कठोरतम कदम परिभाषित करती है। अपीलांट आसी अनु.जाति की वृद्ध महिला है। विवादित आराजी पाक विस्थापित भैराराम पुत्र लालूराम को जीवों के आधार पर आवंटित होकर अपीलांट आसी पुत्री होकर एक परिवार की सदस्य है। जिसके हितों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रिसीवरी खत्म कर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है। कि तथ्यों के विवेचन नियमों के परीक्षण, अपीलांट को सुनकर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

25/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर